न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 81/2017

अपीलांट

1. घीसाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जी जाति घांची उम्र वर्ष निवासी जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मोहनलाल पुत्र श्री कूकाराम जी
2. ओमप्रकाश गोदी पुत्र सत्यनारायण जी (प्रार्थीगण) जातिगण घांची निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. सीता देवी पुत्री मांगीलाल जी
4. शांतिदेवी पुत्री मांगीलाल जी
5. पूनमचंद पुत्र धीराराम जी जातिगण घांची निवासीगण पावटी का बास, नाईयो की हथाई के पास, सोजतसिटी जिला पाली।
6. पकोडाराम
7. सोहनलाल पिसरान शेषाराम जी
8. मृतक भंवरलाल पुत्र श्री शेषाराम के वारिसान
   8/1 नारायणलाल पुत्र भंवरलालजी
   8/2 शिवलाल पुत्र श्री भंवरलालजी जातिगण घांची निवासीगण तमाम आदेश मंदिर के पीछे घांचियो का बास, सोजतसिंटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
9. मीनादेवी पत्नी मोहनलाल जी जाति घांची निवासी पाली दरवाजा, सोजतसिओ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22/10/20

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 150/2016 बउनवान मोहनलाल बनाम घीसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार क्षेत्र आलावास के खसरा नंबर 65, 66 में आने जाने जाने हेतु खसरा नंबर 68 रकबा 1.5400 हैक्टेर में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य अप्रार्थीगण को सुनवाई व तलब किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे तहसीलदार सोजत द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जबकि कानूनन दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2017 को जैर अपील आदेश पारित किया, जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत करवाई गई व तहसीलदार सोजत को केवल मात्र मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा उसी रोज रिपोर्ट के साथ उक्त खसरा में से रास्त लंबाई चौडाई व उसकी डी.एल.सी दर न्यायालय में प्रस्तुत की दी गई, जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार व हल्का पटवारी की रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डी.एल.सी की कोई मांग नही की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास रेन्दडी रोड की पक्की डामरीकृत सडके से कोगाई बेरा के सेरिये से होकर रास्ता मौजदू है, जो आज भी अस्तित्व में है तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से इसी रास्त से आवागमन करते आ रहे है, किन्तु एकतरफा मौका रिपोर्ट में उक्त तथ्य को कोई हवाला नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में यह कही भी निर्णीत नहीं किया है कि प्रार्थीगण को उक्त जोत की आत्यंतिक ही आवश्यकता है एवं प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि तक पहुचने का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में खसरा नंबर 68 में कृषि औंजार व फसल रखने हेतु 120 वर्गफुट का कमरा पक्का निर्मित सुदा है जो भी रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पास अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार क्षेत्र आलावास के खसरा नंबर 65, 66 में आने जाने जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हेतु खसरा नंबर 68 रकबा 1.5400 हैक्टेर में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए, उसके पश्चात दिनांक 08.03.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 02, 04, व 08 की के नोटिस तामिल होने के बावजूद उक्त पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने पर अनुपस्थित दर्शाया गया। उसके पश्चात दिनांक 13.10.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 05, 06, व 07/1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, उसके पश्चात दिनांक 06.11.2017 को अप्रार्थी संख्या 04, 01, 03, 05, 06 व 7/1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत खसरा नंबर 65 व 66 के सबसे नजदीक रास्ता खसरा नंबर 87 गै.मु. रास्ता है जो खसरा नंबर 68 के पूर्वी माठ पर स्थित है।" का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार क्षेत्र आलावास के खसरा नंबर 65, 66 में आने जाने जाने हेतु खसरा नंबर 68 रकबा 1.5400 हैक्टेर में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने सर्वप्रथम बिन्दु यह उठाया है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए, उसके पश्चात दिनांक 08.03.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 02, 04, व 08 की के नोटिस तामिल होने के बावजूद उक्त पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने पर अनुपस्थित दर्शाया गया। उसके पश्चात दिनांक 13.10.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 05, 06, व 07/1 की ओर से जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया गया, उसके पश्चात दिनांक 06.11.2017 को अप्रार्थी संख्या 04, 01, 03, 05, 06 व 7/1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, किन्तु उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार सायला से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रीडर/16/4829 दिनांक 04.11.2016 द्वारा जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें हमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 150/2016 बउनवान मोहनलाल बनाम घीसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली